

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023—श्रावण 27, शक 1945

कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. CT-8-0007-2023-Sec-1-पांच-(CT) (32).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 44 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, आयुक्त, राज्य कर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल आवर्त दो करोड़ रुपए तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी फाईल करने से छूट प्रदान करते हैं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2023 से प्रभावी मानी जाएगी.

लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त, राज्य कर.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. CT-8-0007-2023-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0007-2023-Sec-1-पांच-(CT) (32), दिनांक 18 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Indore, the 18th August 2023

No. CT-8-0007-2023-Sec-1-V(CT)(32).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Commissioner, State Tax, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2022-23 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 31st day of July, 2023.

LOKESH KUMAR JATAV, Commissioner, State Tax.